



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052026-272941
CG-DL-E-29052026-272941

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2612]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2612]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2705(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 669 (अ) दिनांक 09/02/2026, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 09/02/2026 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ड्रिल साइट ELN#02 से ELN#12,04,06 और 01 को जोड़ने के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा, गुजरात राज्य के आम्बलियासन, जोरनांग और मंडाली - गांव, तहसील - मेहसाणा एवं जिला - मेहसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 17/02/2026 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

पाइप लाइन फॉर ड्रिल साइट ELN#02 से ELN#12,04,06 और 01 को जोड़ने के लिए

तालुका:- मेहसाणा

जिला:- मेहसाणा

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4		
1	540		00	10	35
2	539		00	11	35
3	538		00	05	75
4	537		00	06	05
5	532		00	23	05
6	613		00	05	30
7	530		00	11	60
8	529/P1		00	18	40
9	529/P2		00	05	15
10	529/P3		00	18	05
11	614		00	03	00
12	528		00	10	00
13	515		00	23	15
14	493		00	52	20
15	1238		00	10	00
16	1237		00	10	25
17	1235		00	01	25
18	1236		00	16	75
19	1619		00	03	05

20		257		00	09	85
21		430		00	03	40
22		281		00	33	75
23		283		00	34	45
24		284		00	35	65
25		286		00	17	20
26		287		00	01	10
27		276		00	16	45
28		277		00	01	30
29		275		00	11	10
30		274		00	05	00
31		258		00	18	25
32		259		00	18	20
33		256		00	27	55
34		254		00	14	25
35		253		00	31	75
36		428		00	01	75
37		252		00	12	80
38	मंडाली	330		00	26	15
39		331		00	14	65
40		332		00	35	45
41		324		00	20	30
42		323		00	13	00
43		432		00	03	55
44		339		00	21	45
45		340		00	13	10
46		341		00	00	50
47		359		00	29	65
48		358		00	46	00
49		357		00	21	80
50		355	पुर्व दिशा - 1085 पश्चिम दिशा - 1340	00	24	25
51		433		00	03	35
52		400		00	21	35
53		401		00	14	60
54		434		00	01	50

55		402		00	12	85
56		403		00	02	50
57		374		00	23	80
58		373		00	21	00
59		380		00	22	50
60		381		00	27	20
		कुल क्षेत्रफल		09-59-00		

[फा. सं. इएक्सपीएल -13011(26)/11/2024-इएक्सपीएल-पी एन जी (ई-51475)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2026

S.O. 2705(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 669(E) Dated 09/02/2026 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 09/02/2026, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from DRILL SITE ELN#02 TO INTERCONNECT OF ELN#12,04,06 & 01 in AMBALIYASAN, JORNANG & MANDALI villages, Tal. Mehsana & Dist. Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 17/02/2026.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

PIPELINE FOR DRILL SITE ELN#02 TO INTERCONNECT OF ELN#12,04,06 & 01

TALUKA: - MEHSANA

DISTRICT:-MEHSANA

STATE:-GUJARAT

Name of village		Survey No./ Block No.	Part if any	Area		
				Hq.	Are	Sq. mtr.
1		2	3	4		
1	Ambaliyasan	540		00	10	35
2		539		00	11	35
3		538		00	05	75
4		537		00	06	05
5		532		00	23	05
6		613		00	05	30
7		530		00	11	60
8		529/P1		00	18	40
9		529/P2		00	05	15
10		529/P3		00	18	05
11		614		00	03	00
12		528		00	10	00
13		515		00	23	15
14		493		00	52	20
15	Jornang	1238		00	10	00
16		1237		00	10	25
17		1235		00	01	25
18		1236		00	16	75
19		1619		00	03	05
20	Mandali	257		00	09	85
21		430		00	03	40
22		281		00	33	75
23		283		00	34	45
24		284		00	35	65
25		286		00	17	20
26		287		00	01	10
27		276		00	16	45
28		277		00	01	30
29		275		00	11	10
30		274		00	05	00
31		258		00	18	25
32		259		00	18	20
33		256		00	27	55
34	254		00	14	25	

35		253		00	31	75
36		428		00	01	75
37		252		00	12	80
38		330		00	26	15
39		331		00	14	65
40		332		00	35	45
41		324		00	20	30
42		323		00	13	00
43		432		00	03	55
44		339		00	21	45
45		340		00	13	10
46		341		00	00	50
47		359		00	29	65
48		358		00	46	00
49		357		00	21	80
50		355	East Part – 1085 West Part - 1340	00	24	25
51		433		00	03	35
52		400		00	21	35
53		401		00	14	60
54		434		00	01	50
55		402		00	12	85
56		403		00	02	50
57		374		00	23	80
58		373		00	21	00
59		380		00	22	50
60		381		00	27	20
		Total Area			09-59-00	

[F. No. Expl-13011(26)/11/2024-EXPL-PNG (E-51475)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.